

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1709 / 2022

दिनांक 19.05.2022

श्री अजय शर्मा (RJ0140), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को दिनांक 04.05.2022 से 07.05.2022 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 08.05.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
18.05.2022
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/09/2013/3931

दिनांक : 19.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 22 दिनांक 09.05.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री अजय शर्मा (RJ0140), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।

19.5.2022
सहायक रजिस्ट्रार